छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा | पंचादश सत्र | अंक-04

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 8 फरवरी, 2018
(माघ 19, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 03, 05 से 08 एवं 10 से 13 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 04 एवं 09 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमश: श्री भैयाराम सिन्हा एवं श्री लालजीत सिंह राठिया अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 23 तारांकित एवं 55 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 06 पर चर्चा के दौरान श्री कवासी लखमा, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया ।

3. पृच्छा

श्री धनेन्द्र साहू एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा राजिम के संगम स्थल पर गंदगी एवं अव्यवस्था संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

4. व्यवस्था

माननीय सभापति ने व्यवस्था दी कि आपके द्वारा दी गई स्थगन सूचना पर कल भी आपने आसंदी का ध्यान आकर्षित किया था और स्थगन प्रस्ताव में जिन मुद्दों का उल्लेख किया गया है, उस पर कल विस्तार से अनुपूरक अनुमान में चर्चा हो चुकी है। इस पर चर्चा के लिए आगे और भी अवसर प्राप्त होंगे। स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया गया है।

5. बहिर्गमन

श्री कवासी लखमा, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा न कराये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया।

6. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री संतराम नेताम, सदस्य ने जिला नारायणपुर के ग्राम-गढ़बेंगाल में सड़क निर्माण कार्य से वातावरण प्रदूषित होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

श्री राजेश मूणत, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) डॉ. विमल चोपड़ा, सदस्य ने जिला महासमुंद में पेंशनधारियों को पेंशन प्राप्त करने में हो रही कठिनाई की ओर समाज कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्रीमती रमशीला साहू, समाज कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

7. बहिर्गमन

डॉ. विमल चोपड़ा, सदस्य ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया।

8. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री मोतीलाल देवांगन

(2) श्री नवीन मारकण्डेय

(3) श्री लखेश्वर बघेल

(4) श्री संतराम नेताम

(5) श्री अरूण वोरा

9. माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव के संबंध में श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(1.30 से 3.01 बजे तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

श्री शिवरतन शर्मा।

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर निम्नलिखित सदस्यों के संशोधन प्रस्तुत हुए :-

सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, संतराम नेताम, चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), श्रीमती अनिला भेंड़िया, सर्वश्री मोतीलाल देवांगन, लखेश्वर बघेल, मोहन मरकाम, श्यामलाल कंवर (डॉ.) प्रीतम राम, दीपक बैज, अमरजीत भगत एवं बृहस्पत सिंह।

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव व संशोधनों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

श्री सत्यनारायण शर्मा,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अवधेश सिंह चंदेल, बृहस्पत सिंह,

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे, (डॉ.) विमल चोपडा, मोहन मरकाम,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से माननीय सदस्य का भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

सायं 5.52 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 9 फरवरी, 2018 (माघ-20, शक संवत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा